

धरोहर
राशि
ऑफसेट
मूल्य का
मात्र
10 %



કાર્યાલય ગવાલિયર વિકાસ પ્રાધિકરણ, ગવાલિયર (મોપ્રો)

વિજ્ઞાપન ક્રમાંક 13296

ગવાલિયર દિનાંક 23.01.2021

રેઝા રજિ.ક. P-GWL-17-1332

માધવ પ્લાજા AC MARKET

વિવિધ વ્યવસાય હેતુ દુકાને ઉપલબ્ધ

માધવ પ્લાજા વ્યવસાયિક યોજના મેં દુકાનેં / શોરૂમ હેતુ બોલી આમત્રણ પ્રાધિકરણ દ્વારા નિષ્ઠા નિર્ધારિત ઈકાઈઓં કે વ્યયન હેતુ આમંત્રિત કી જાતી હૈ –

અનુ.ક.	ઇકાઈયોં કા વિવરણ	ઇકાઈયોં કા ઉપયોગ	ક્ષેત્રફળ વર્ગ મી. મેં (સુપરવિલ્ટપ)	આરક્ષણ કી શ્રેણી	ઇકાઈયોં કા આરક્ષિત મૂલ્ય પ્રતિ વર્ગ મી. સુપરવિલ્ટપ	પટટે (લીજ) પર યા ભૂમિસ્વામી અધિકારોં પર વ્યયન	પટટે (લીજ) કે પ્રકરણ વાર્ષિક પટ્ટા ભાડા
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ભૂ-તલ	વિવિધ વ્યવસાય	ભિન્ન-ભિન્ન આકાર	સામાન્ય	1,10,000/-	યથાનિયમ	યથાનિયમ
2	પ્રથમ તલ	વિવિધ વ્યવસાય	ભિન્ન-ભિન્ન આકાર	સામાન્ય	82,500/-	યથાનિયમ	યથાનિયમ
3	દ્વિતીય તલ	વિવિધ વ્યવસાય	ભિન્ન-ભિન્ન આકાર	સામાન્ય	66,000/-	યથાનિયમ	યથાનિયમ
4	તૃતીય	વિવિધ વ્યવસાય	ભિન્ન-ભિન્ન આકાર	સામાન્ય	55,000/-	યથાનિયમ	યથાનિયમ

ઇચ્છુક વ્યક્તિ નિર્ધારિત બોલી પ્રપત્ર સેન્ટલ બૈક ઑફ ઇન્ડિયા, જી.ડી.એ. પરિસર ગવાલિયર શાખા રૂપયે 1000 + 180 (જી.એસ.ટી.) રાશિ જમા કર દિનાંક 25.01.2021 સે 30.03.2021 તક કાર્યાલયીન સમય સાયં 4.00 બજે તક ગવા.વિ.પ્રા. કી એકલ ખિડકી સે પ્રાપ્ત કર સકતે હૈ। બોલી પ્રપત્ર કો પ્રાધિકરણ કી વેબસાઈટ WWW.gdagwalior.in સે ભી ડાઉનલોડ કિયા જા સકતા હૈ જિસમે બોલી પ્રસ્તુત કરતાંઓ કો દસ્તાવેજ શુલ્ક કી ડી.ડી. એવં ધરોહર રાશિ કી ડી.ડી. જો મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી, ગવાલિયર વિકાસ પ્રાધિકરણ કે નામ દેય હો અપની બોલી પ્રપત્ર કે સાથ જમા કરાની હોગી।

નોટ :-

- નિવિદાયે પ્રત્યેક માહ કે અન્તિમ કાર્યાલયીન દિવસ સાંય 4.00 બજે તક પ્રાપ્ત હોંગી, વહ સભી નિવિદાએ પ્રાધિકરણ સભા કક્ષ મેં નિવિદા સમિતિ કે સમક્ષ સાય 4.30 બજે ખોલી જોવેગી। ઉક્ત સમય પર બોલી પ્રસ્તુતકર્તા અથવા ઉસકા અધિકૃત પ્રતિનિધિ ઉપરિથિત રહ સકેગા।
- વતાનુકૂલન વ્યય રૂપયે 6000/- પ્રતિ વર્ગમીટર સુપરવિલ્ટપ એરિયા કે માન સે એક મુશ્ત પ્રીમિયમ કે અતિરિક્ત જમા કરાના હોગા।
- રખ રખાવ વ્યય રૂપયે 150/- પ્રતિ વર્ગમીટર સુપરવિલ્ટઅપ કે માન સે પ્રતિમાહ પૃથક સે ભુગતાન કરના હોગા।
- દુકાન / શોરૂમ કી સમ્પૂર્ણ રાશિ આવંટન સ્વીકૃત હોને કી દશા મેં માંગ પત્ર મેં ઉલ્લેખિત નિયત તિથિ કો જમા કરાની અનિવાર્ય હોગી।
- દુકાનોં આદિ કી સૂચી આવેદન પ્રપત્ર કે સાથ સંલગ્ન હૈ। અધિક જાનકારી કસ્ટમર કેયર કાઉન્ટર માધવ પ્લાજા પરિસર એવં ગવાલિયર વિકાસ પ્રાધિકરણ મેં કાર્યાલયીન સમય પર સમ્પર્ક કર પ્રાપ્ત કી જા સકતી હૈ। શર્તે એવં નિબન્ધન પ્રાધિકરણ કી વેબસાઈટ WWW.gdagwalior.in પર ભી દેખે જા સકતે હૈ ।

कमाक / माधव प्लाजा / सम्पदा / 2020 / 13296

ग्वालियर, दिनांक 23.01.2021

प्रतिलिपि:-

- 1— निज सचिव मान. अध्यक्ष महोदय / संभाग आयुक्त ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 2— निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 3— अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, प्रभारी कार्यपालन यंत्री—1/2, सम्पदा अधिकारी, लेखा अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 4— जनसम्पर्क अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर व्ययन नियम –2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु ।
- 5— सहायक यंत्री माधव प्लाजा योजना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि माधव प्लाजा स्थित कस्टमर केयर काउन्टर में हितग्राहियों को रिक्त दुकानों, आकार, विकल्प मूल्य आदि की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- 6— कार्यालय कमिशनर ग्वालियर / कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर / कार्यालय कमिशनर नगर निगम / तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने की कृपा करें।
- 7— कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु ।
- 8— श्री भास्कर राव काले, प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
- 9— एकल खिडकी लिपिक की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में निविदा प्रपत्र वितरित करना सुनिश्चित् करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्ररूप—ग
(नियम 6 (चार) देखिए)
बोली दस्तावेज (Bid Document)
माधव प्लाजा वातानुकूलित व्यवसायिक परिसर

विज्ञापन क्रमांक 13296

दिनांक 23-01-2021

बोली दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :-

- भाग एक : सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बावत निर्देश
- भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र
- भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें
- भाग चार : बोली प्ररूप

भाग एक : सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बावत निर्देश (Instructions for submission of Bid for Property) (दस्तावज की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात् पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 13296 दिनांक 23.01.2021 के संदर्भ में भूखण्डों (Plot)/ईकाईयों (Unit) के आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक बोली तथा सम्पत्ति के आवंटन बावत पात्रता (Eligibility for Bid and Allotment of Property)

1. विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति की बोली की प्रस्तुति हेतु केवल एक बोली प्ररूप ही लागू होगा।
2. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु बोली लगाने के इच्छुक हो तो उसे पृथक, बोली प्ररूप क्रय करने होंगे।
3. ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता जो बेवसाईट से बोली प्ररूपों को डाउनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए बोलियां प्रस्तुत की जा रही हैं, बोली दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पत्तियों के लिये पृथक प्रारूप के साथ पृथक बोलियां प्रस्तुत की जाएंगी।
4. किसी अवयस्क (Minor) द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों को मान्य नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित की जा चुकी हो, उसे किसी श्रेणी के लिये आरक्षित किसी अन्य सम्पत्ति हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

दो बोली दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया (Procedure for Submission of Bid Documents)

1. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोलियां द्वि-लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ("लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" बोली को प्रक्रिया बद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुती के लिये तथा "लिफाफा बी-बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" विहित बोली प्ररूप में बोली की प्रस्तुति हेतु।
2. उनके लिए जो प्राधिकरण से बोली प्ररूपों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग-अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें "लिफाफा ए पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" "लिफाफा बी बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) (Third Envelope Cover Envelope) के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की बेवसाइड से डाउनलोड किया हो तो बोली प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बंद किया जा सके तथा इन्हें "लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा", "लिफाफा बी-बोली लिफाफा" तथा आवरण लिफाफा (Cover Envelope) अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम, विज्ञापन क्रमांक ----- तथा भूखण्ड एवं सम्पत्ति क्रमांक/प्रकार के साथ "योजना माधव प्लाजा योजना के अंतर्गत दुकान/शोरूम के आवंटन हेतु बोली" दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाएगा।
4. इच्छुक व्यक्तियों को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बंद करने की उपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी का आवंटण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

तीन बोली की वैधता, बोली प्रतिभूति तथा बोली प्रतिभूति का समपहरण (Validity of Bid. Security and For feiture of Bid Security)

1. बोलियां, बोली प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेंगी।
2. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को रु. -----/- (वह सम्पत्ति जिसके लिये बोली प्रस्तुत की जा रही है, के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) की बोली प्रतिभूति (Bid security) प्रस्तुत करनी होगी।
3. अन्य बोली प्रस्तुतकर्ता, जिनकी बोलियां स्वीकार न की गई हों, की बोली प्रतिभूति बोली लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा बोली दस्तावेज में भुगतान के निर्बंधन तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की बोली प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी।

चार प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख (Information/Documents to be Provided) लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)

1. ऐसे प्रकरण में जहां बोली-प्ररूप को प्राधिकरण की बेवसाइट से डाउनलोड किया गया हो, या बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली दस्तावेज शल्क (Bid Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां बोली प्ररूप प्राधिकरण कार्यालय से क्रय किया गया हो वहां बोली दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद प्ररूप की प्रति
2. बोली प्रतिभूति (Bid Security) हेतु रु. -----/- (सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत की राशि का विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर)।
3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे।

अ. वैयक्तिक / संयुक्त आवेदकों हेतु (For Individual/Joint Applicants)

- (एक) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से बोली प्रस्तुत कर रहा हो उसे बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ—पत्र जिसमें बोली प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि यह लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- (दो) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ—पत्र (Affidavit) (भाग—दो)।
- (तीन) सक्षम अधिकारी से प्रमाण—पत्र (यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित भवनों के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो)। जहा आरक्षित श्रेणी के भूखण्ड इकाईयों हेतु बोलियों को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होंगे।

सरल क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1		
2		
3		

- (चार) सम्पत्ति हेतु बोली के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग—एक) और सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें (भाग—तीन)
- (पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)

ब. किसी विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण कम्पनी/संस्था/इकाई हेतु (For Company/Firm/Entity registered under any Law)

- (एक) इकाई द्वारा बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प की प्रति।
- (दो) बोली प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र (भाग—दो) के अनुसार शपथ—पत्र।
- (तीन) इकाई के निगमन (Incorporation) संबंधी प्रमाण (नियमावली संबंधी ज्ञापन—पत्र)/भागीदारी विलेख (Partnership Deed)/न्यास विलेख (Trust Deed)/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख आदि) (Documents of Registration of Society, etc.)
- (चार) संपत्ति के लिये बोली की प्रस्तुति हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग—एक) तथा संपत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें (भाग—तीन)
- (पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)
4. आवश्यक आपेक्षित जानकारी/अभिलेखों, बोली दस्तावेज शुल्क तथा बोली प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह अभिलेखों के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बावत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer)/बोली से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत की, जाती है तो ऐसे प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

लिफाफा 'बी'— बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित बोली/प्ररूप में सम्मिलित होगी। (भाग—चार)।

पांच बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तथा बोली प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Bid Due Date and opening of Bids)

1. बोलियों को 1, रवि नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सम्पदा अधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यालयीन दिवस में विज्ञापन में उल्लेखित अन्तिम दिनांक ----- सायं 4.30 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. अभिलेखों के परीक्षण के बाद केवल पात्र पाये गये बोली प्रस्तुतकर्ताओं के बोली लिफाफों को 1, रवि नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय ग्वालियर के सभा कक्ष में निविदा समिति के समक्ष प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यालयीन दिवस को सायं 4.30 बजे खोली जावेगी ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता, जो बोली खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे बोलियों को खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
3. बोली खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे (Eligibility envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण बोली प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।

छह उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Bidder)

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. सामान्यतः ऐसे उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, बोली लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए चयनित बोली प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई बोलियों का अंतिम परिणाम बोली लिफाफा खोलने के पन्द्रह दिन के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना—पटल के साथ—साथ उसकी बेवसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण के पास किसी भी बोली/समर्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

पते में परिवर्तन तथा बोली प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and tracking of Bid)

1. बोली प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली प्रस्तुतकर्ता से पत्र व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में संसुचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या किसी प्रकार के डाक संबंधी विलम्ब के कारण किसी कार्यवाही में विलम्ब के लिये किसी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/बेवसाईट पर बोली के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।

भाग—दो : शपथ पत्र हेतु प्रपत्र (Format for affidavit)

(सील बंद लिफाफे 'ए' पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ—पत्र को गैर—न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात प्रयोज्य दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए)

शपथ—पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूं कि :—

मेरा नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

आधार कार्ड नं. :

मोबा न. :

व्यवसाय :

आयु :

वार्षिक आय :

2. यहकि, मैं,(बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है।)

3. यहकि, मैं (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ—पत्र के अनुसार मेरी ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूं (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति की बोली प्रस्तुतकर्ता की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है।)

4. यहकि, मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागू जहां बोली प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।

5. यहकि, बोली के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

6. यहकि, मैंने बोली संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को भली भांति समझ लिया है तथा ये निबंधन तथा शर्तों/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य है।
7. यहकि, यदि बोली के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी बोली को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि को समपहृत करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् इस बोली के अंतर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति से संबंधित पट्टे (लीज) को भी रद्द करने का अधिकार होगा।
8. यहकि, यह शपथ—पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति माधव प्लाजा व्यवसायिक परिसर में दकान /शोरूम के आवंटन हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

अभिसाक्षी

(बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, पिता/पति श्री सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है। यह सत्यापन आज दिनांक को किया गया।

अभिसाक्षी

(बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ—पत्र में शामिल न करें।
2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ—पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग—तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें

(Terms and conditions for Allotment of Property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे) (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत की जाए)

एक भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) को बोली की स्वीकृति के बाद मांग—पत्र जारी किया जावेगा उक्त मांग पत्र में उल्लेखित नियत तिथि तक प्रीमियम राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली की स्वीकृति के बाद मांग—पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर एक वर्ष की अवधि की अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबंध पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबंधन तथा शर्तें शामिल होगी, प्रयोज्य दरों के अनुसार मूल्य के गैर—न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) जमा करनी होगी।
3. जहां सफल बोली प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्धि नहीं की गई हो।
4. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) शासन, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी साविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

निम्न दर्शाई गई कण्डकाएं 5 से 8 केवल उसी दशा में लागू होगी जब प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् ग्राही को सम्पत्ति का आवंटन किस्तों के आधार पर कर रहा हो।

5. प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 02 वर्षों की छूट किश्तों के भुगतान हेतु प्रदान की जा सकेगी। ऐसी विस्तारित अवधि के संबंध में किश्त की अवशेष देय रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रभारित किया जावेगा।
6. विहित अनुसूची के अनुसार किश्तों का भुगतान न किये जाने की दशा में उपरोक्त अनुसार प्रदाय विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवंटन निरस्त किये जाने की सूचना दी जावेगी।
7. यदि आवंटी प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची अनुसार समस्त लंबित किश्तें मय ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज (संबंधित) किश्त की देय तारीख से 05 प्रतिशत की दर पर) का भुगतान कर देता है तो प्राधिकारी आवंटन निरस्त करने का नोटिस वापस लेगा।

यह भी यदि उपरोक्त वर्षित खण्ड 07 के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के अधिमूल्य की 10 प्रतिशत रकम के बराबर रकम राजसात कर ली जावेगी तथा शेष मूलधन की रकम आवंटी को लौटा दी जावेगी। आवंटित को इस प्रत्येपण राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी।

8. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
9. वातानुकूलन हेतु अनुमानित शुल्क 6000/- प्रति वर्ग मी. सुपरविल्टप एरिया के मान से पृथक से जमा कराना होगा।
10. योजनान्तर्गत वातानुकूलन संचालन एवं परिसर के संधारण/संचालन हेतु जो भी शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जावेगा वह आवंटी को पृथक से प्रतिमाह/प्रतिवर्ष प्राधिकरण की शर्तों के अधीन जमा कराना होगा।
11. जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी।

दो

सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी शर्तें (Terms for Lease Property)

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जाएगा (जब तक अन्यथा शासकीय सम्पत्तियों की दशा में, ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत वेष्ठित हों या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही हो) जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्ष की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक पट्टा भाड़ा रूपये (इसे बोली प्रक्रिया के उपरांत भरा जाए, यह राशि शासन की देय पट्टा भाड़ा + (जमा) प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों पर दस प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में अथवा भूमिस्वामी अधिकारों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि पर पट्टे पर प्रदान की गई सम्पत्तियों हेतु प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत होगी) प्रभारित किया जाएगा। यदि योजना का संधारण विकास प्राधिकरण किया जा रहा है, तो विकास प्राधिकरण सम्पत्ति के हस्तान्तरण / कब्जा देने की स्थिति से सम्पत्ति के संधारण हेतु प्रभार ले सकेगा।
3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष 31 मार्च को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष के जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक मार्च से देय होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह से अधिक अवधि हेतु लम्बित रहता है वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि की वसूली की प्रक्रिया भू-राजस्व की बकाया रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य जैसा है जहाँ है के आधार पर हस्तान्तरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो) तथा प्राधिकरण भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई/समतलन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
6. सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सौंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा संपत्ति के आवंटन के विशेष पद्धतियों में यह प्रावधान न कर दिया गया हो, जिसका प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
7. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, भले ही ग्राही द्वारा सम्पत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
8. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवटी द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lessee) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पट्टे का पंजीकरण कराना होगा। पट्टाधारी पट्टा अभिलेख के पंजीकरण के संबंद्ध समर्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी को पट्टे के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अध्यधीन, किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क (Transfer Fees) की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाइडलाईन दर (Applicable Guideline Rate) के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जहां हस्तानांतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (Natural Devolution Of Heirship) के दौरान चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय न होगा।
10. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

11. ऐसे प्रकरण में जहा पट्टाधारी विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करता हो, वहां प्राधिकरण सम्पत्ति के पट्टे को रद्द कर सकेगा। पट्टे के निरस्तीकरण पर प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनप्रवेश का अधिकार सुरक्षित होगा।

तीन आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में नामोदिष्ट उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. पट्टाधारी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planing Permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो) तथा ग्वालियर नगर पालिक निगम की परिषद द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य जा स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर तदनुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसे नामोदिष्ट उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही संपन्न की जाती है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी साविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
4. पट्टाधारी के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

चार अन्य निबंधन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

1. यदि बोली के निबंधनों तथा शर्तों में तथा "मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधकन तथा व्यय नियम 2013" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उद्भूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबंध अभिभावी होगे तथा पट्टेदार पर बंधनकारी होंगे।
2. यदि योजना के अंतर्गत कोई विशेष निबंधन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, बोली प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये बंधनकारी होंगी।
3. आवंटन/पट्टे के निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदिशिती Permitted assignees भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee)" उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

पांच विशेष शर्तें (Special Conditions)

विज्ञापन के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग—एक, भाग—दो, भाग—तीन बोली दस्तावेज के अभिन्न भाग है। बोली प्रस्तुतकर्ताओं को भाग—एक, भाग—दो, भाग—तीन के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा “ए पात्रता दस्तावेज” में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा बैवसाइट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी बोली दस्तावेज में जारी किये ये कोई संशोधन बोली प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से बोली प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।

नो

दिनांक :

बोली प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता—

मोबा न. —

भाग चार : बोली प्ररूप (Bid Form)

माधव प्लाजा व्यवसायिक परिसर स्थित दुकान / शोरूम हेतु बोली प्ररूप (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 13296

बोली प्ररूप क्रमांक

दिनांक 23-01-2021

मूल्य रूपये **1000** व जी.एस.टी.शुल्क रु. **180**
कुल **1180/-**

अहस्तान्तरणीय (Not Transforale)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर विकास प्राधिकरण

ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवेदक का पासपोर्ट
आकार का छाया चित्र
यहां चिपकाया जाए

बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम

महोदय,

1. आपके विज्ञापन क्रमांक 13296 दिनांक 23-01-2021 के संदर्भ में, जो माधव प्लाजा योजना के अंतर्गत दुकान/शोरूम के आवंटन के लिए है तथा जिसे माधव प्लाजा वातानुकूलित कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स अधिसूचित किया गया है, मैं/हम मेरी/हमारी बोली पट्टे (लीज)/भूमि स्वामी अधिकारों के आधार पर तथा मैं/हम प्राधिकरण द्वारा जारी बोली प्ररूपों सभी निबंधनों तथा शर्तों से आबद्ध होने की सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं। इस बोली प्ररूप के एकीकृत भाग के रूप में भूखण्ड/इकाई के आवंटन हेतु प्रस्तुत चाहता हूँ/चाहते हैं। मैं/हम पूर्णतया विधिवत स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बोली दस्तावेज के समस्त निबंधनों तथा शर्तों को पढ़ लिया गया है, स्पष्टतया समझ लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं, जो प्राधिकरण की बोली-प्रक्रिया तथा भूखण्ड/इकाई के आवंटन की शर्तों तक सीमित न होकर, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस बोली के साथ निबंधन तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं :—

2. आवेदक के मूल ब्यौरे :

01	बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम (यदि बोली कम्पनी/ फर्म/ किसी अन्य इकाई के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें)	1. 2. (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में) 3. (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में)
02	बोली प्रस्तुतकर्ता संस्था/ कम्पनी के निदेशक/ निर्देशकों/ का नाम (कम्पनी/ संस्था/ किसी अन्य इकाई के प्रकरण में)
03	बोली प्रस्तुतकर्ता के पिता/ पति का नाम
04	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष/ मोबाइल ई-मेल पता (कार्यालय).....(निवास)

3. हमने यह बोली प्ररूप प्राधिकरण के कार्यालय से(प्राधिकरण का नाम) द्वारा जारी रसीद क्रमांकदिनांक के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)। हमारे द्वारा यह बोली प्ररूप प्राधिकरण की बेवसाइट से डाउनलोड किया गया है तथा बोली प्ररूप के मूल्य स्वरूप मेरे/ हमारे द्वारा बैंक ड्रापट/ बैंकर्स चेक क्रमांकदिनांक राशि रूपये (शब्दों और अंकों में दर्शायें) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. मैं/ हम इसबोली को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं/ रहे हैं कि मेरी/ हमारी बोली इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।
5. मैं/ हम अपनी बोली के संबंध में बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्रापट/ बैंकर्स चेक क्र.दिनांक रूपये(शब्दों और अंकों में दर्शाए) प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/ हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही बोली अप्रतिसंहरणीय (Irrevocable) है तथा यदि मैं/ हम इसे प्रतिसंहत करता हूं/ करते हैं तो इस बोली के साथ जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि रूपये (शब्दों और अंकों में दर्शाए) समपूर्त कर ली जाएगी।

6. मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में मैं/हम पूर्ण दायित्व लेता हूं/लेते हैं। मैं/हम यह सहमति भी प्रदान करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि आवश्यक हा अथवा बोली को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बावत चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस बोली की अर्हताओं के अनुसार इस बोली के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूं/करते हैं। मुझे/हमें यह भी अवगत है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (*misrepresentation of facts*) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली को निरस्त करने का तथा बोली प्रतिभृति राशि को समहृत करने का अधिकार होगा।
7. मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण इस बोली को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी बोली को स्वीकार करते के लिए बाध्य है तथा न ही बोली प्रस्तुतकर्ताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिये आमत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी बोली को रद्द कर सकता है तथा एतद्वारा किसी भीकारण से भले वह जो भी हो, से इसे चुनोती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यंजन (*waive*) का अधिकार रखता है।
8. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं जो इस बोली के लिये आवदेन किये जाने बावत मेरी/हमारी योग्यता के बारे में किसी प्रकार का संदेह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो जो समाज की नतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दाषी ठहराया गया है।
9. मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड/इकाई का उपयोग पट्टा विलेख (*Lease Deed*) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अंतर्गत जिसका अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम ऐसे पट्टा विलेख के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त करता/करते हैं जिसका निष्पादन भूखण्ड/इकाई का आवंटन होने पर किया जाएगा जिसमें सम्मिलित है जिस तक सीमित नहीं है वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों हेतु) का भुगतान प्राधिकरण के पट्टे को रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (*Building bye-laws*), भवन निर्माण विनियमों का अनुसरण शुल्क दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अंतर्गत सम्पत्ति को लागू हो।

10. मैं/हम सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथ अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी बोली निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

ईकाई का प्रकार	दुकान/शोरूम क्रमांक	निर्धारित बोली कीमत प्रति ईकाई वर्ग मी. सुपरविल्टप (अंकों में)	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत कीमत (अंकों/शब्दों में) प्रति वर्ग मी. सुपरविल्टप

11. मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में बोली की कुल राशि का समायोजन तदनुसार आनुपालिक दर के अनुसार किया जाएगा।
12. मैं/हम बोली राशि का अवशेष 75 प्रतिशत भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलम्ब/चूक किये जाने पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूं/करते हैं।
13. मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि संपत्ति क्रमांक तथा बोली दरों का रु. प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना बोली को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।
14. मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि बोली प्रपत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर बोली प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।
15. उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम बोली प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह बोली प्रस्ताव करता हूं/करते हैं।

दिनांक :

स्थान :

नोट :- बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
यदि बोली कम्पनी/संस्था/किसी अन्य संविधान :
के अंतर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही
हो उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए
नाम/पता—

मोबान.



dk; kly; Xokfy; j fodkl i kf/kdj .k]Xokfy; j ¼e0i Ø½

MADHAV PLAZA UNSOLD SHOPS

सं. क्र	दुकान/ शोरूम	तल	वर्ग	सुपरविल्टप क्षेत्रफल वर्ग मी. में	ऑफसेट मूल्य प्रति वर्ग मी. में राशि रु.	कुल ऑफसेट लागत रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	G-01	Hk&ry	I kekJ;	23.27	110000	2559700
2	G-02	Hk&ry	I kekJ;	23.08	110000	2538800
3	G-03	Hk&ry	I kekJ;	23.98	110000	2637800
4	G-04	Hk&ry	I kekJ;	22.4	110000	2464000
5	G-05	Hk&ry	I kekJ;	24.95	110000	2744500
6	G-06	Hk&ry	I kekJ;	24.78	110000	2725800
7	G-07	Hk&ry	I kekJ;	23.69	110000	2605900
8	G-08	Hk&ry	I kekJ;	24.87	110000	2735700
9	G-09	Hk&ry	I kekJ;	24.75	110000	2722500
10	G-11	Hk&ry	I kekJ;	20.37	110000	2240700
11	G-12	Hk&ry	I kekJ;	15.72	110000	1729200
12	G-13	Hk&ry	I kekJ;	17.86	110000	1964600
13	G-14	Hk&ry	I kekJ;	17.09	110000	1879900
14	G-15	Hk&ry	I kekJ;	16.69	110000	1835900
15	G-16	Hk&ry	I kekJ;	17	110000	1870000
16	G-17	Hk&ry	I kekJ;	16.61	110000	1827100
17	G-18	Hk&ry	I kekJ;	17.2	110000	1892000
18	G-19	Hk&ry	I kekJ;	16.95	110000	1864500
19	G-20	Hk&ry	I kekJ;	16.94	110000	1863400
20	G-21	Hk&ry	I kekJ;	17.04	110000	1874400
21	G-22	Hk&ry	I kekJ;	13.95	110000	1534500
22	G-24	Hk&ry	I kekJ;	8.35	110000	918500
23	G-25	Hk&ry	I kekJ;	8.8	110000	968000
24	G-27	Hk&ry	I kekJ;	9.6	110000	1064800
25	G-28	Hk&ry	I kekJ;	27.96	110000	3075600
26	G-29	Hk&ry	I kekJ;	30.57	110000	3362700
27	G-30	Hk&ry	I kekJ;	29.92	110000	3291200
28	G-31	Hk&ry	I kekJ;	31.9	110000	3509000
29	G-32	Hk&ry	I kekJ;	13.87	110000	1525700
30	G-33	Hk&ry	I kekJ;	14.92	110000	1641200
31	G-34	Hk&ry	I kekJ;	21.57	110000	2372700

32	G-35	Hk&ry	I kekJ;	22.79	110000	2506900
33	G-36	Hk&ry	I kekJ;	23.15	110000	2546500
34	G-37	Hk&ry	I kekJ;	22.74	110000	2501400
35	G-38	Hk&ry	I kekJ;	22.59	110000	2484900
36	G-39	Hk&ry	I kekJ;	22.18	110000	2439800
37	G-40	Hk&ry	I kekJ;	18.25	110000	2007500
38	G-74	Hk&ry	I kekJ;	19.38	110000	2131800
39	G-75	Hk&ry	I kekJ;	18.75	110000	2062500
40	G-76	Hk&ry	I kekJ;	19.92	110000	2191200
41	G-77	Hk&ry	I kekJ;	18.66	110000	2052600
42	G-89	Hk&ry	I kekJ;	20.05	110000	2205500
43	G-91	Hk&ry	I kekJ;	19.5	110000	2145000
44	G-93	Hk&ry	I kekJ;	19.5	110000	2145000
45	G-98	Hk&ry	I kekJ;	19.97	110000	2196700
46	G-99	Hk&ry	I kekJ;	20.06	110000	2206600
47	G-100	Hk&ry	I kekJ;	19.96	110000	2195600
48	G-101	Hk&ry	I kekJ;	20.47	110000	2251700
49	G-103	Hk&ry	I kekJ;	19.96	110000	2195600
50	G-104	Hk&ry	I kekJ;	19.81	110000	2179100
51	G-105	Hk&ry	I kekJ;	19.41	110000	2135100
52	G-106	Hk&ry	I kekJ;	19.86	110000	2184600
53	G-107	Hk&ry	I kekJ;	19.28	110000	2120800
54	G-108	Hk&ry	I kekJ;	19.72	110000	2169200
55	G-109	Hk&ry	I kekJ;	18.78	110000	2065800
56	G-113	Hk&ry	I kekJ;	19.77	110000	2174700
57	G-118	Hk&ry	I kekJ;	29.45	110000	3239500
58	G-119	Hk&ry	I kekJ;	28.88	110000	3176800
59	G-120	Hk&ry	I kekJ;	28.77	110000	3164700
60	G-121	Hk&ry	I kekJ;	28.88	110000	3176800
61	G-142	Hk&ry	I kekJ;	21.54	110000	2369400
62	G-143	Hk&ry	I kekJ;	20.33	110000	2236300
63	G-144	Hk&ry	I kekJ;	21.27	110000	2339700
64	G-145	Hk&ry	I kekJ;	21.18	110000	2329800
65	G-146	Hk&ry	I kekJ;	20.24	110000	2226400
66	G-146A	Hk&ry	I kekJ;	18.52	110000	2037200
67	G-147	Hk&ry	I kekJ;	12.02	110000	1322200
68	G-149	Hk&ry	I kekJ;	23.1	110000	2541000
69	G-150	Hk&ry	I kekJ;	23.14	110000	2545400
70	G-151	Hk&ry	I kekJ;	23.47	110000	2581700

71	G-152	Hk&ry	kekU;	23.23	110000	2555300
72	G-153	Hk&ry	kekU;	23.96	110000	2635600
73	G-155	Hk&ry	kekU;	16.8	110000	1848000
74	G-159	Hk&ry	kekU;	21.14	110000	2324960
75	G-157	Hk&ry	kekU;	20.27	110000	2229920
76	GS-03	Hk&ry	kekU;	143.13	110000	15744300
77	GS-05	Hk&ry	kekU;	96.19	110000	10580900
78	F-149	i Fke	kekU;	28.94	82500	2387550
79	F-09	i Fke	kekU;	34.4	82500	2838000
80	F-08	i Fke	kekU;	33.34	82500	2750550
81	F-12	i Fke	kekU;	34.12	82500	2814900
82	F-18	i Fke	kekU;	22.5	82500	1856250
83	F-29	i Fke	kekU;	22.05	82500	1819125
84	F-45	i Fke	kekU;	20.47	82500	1688775
85	F-49	i Fke	kekU;	22.3	82500	1839750
86	F-51	i Fke	kekU;	22.53	82500	1858725
87	F-77	i Fke	kekU;	21.77	82500	1796025
88	F-87	i Fke	kekU;	15.77	82500	1301025
89	F-100	i Fke	kekU;	19.84	82500	1636800
90	F-123	i Fke	kekU;	19.96	82500	1646700
91	F-138	i Fke	kekU;	28.41	82500	2343825
92	F-114	i Fke	kekU;	19.55	82500	1612875
93	F-02	i Fke	kekU;	33.95	82500	2800875
94	F-10	i Fke	kekU;	33.88	82500	2795100
95	F-13	i Fke	kekU;	29.32	82500	2418900
96	F-05	i Fke	kekU;	32.21	82500	2657325
97	F-11	i Fke	kekU;	34.29	82500	2828925
98	F-04	i Fke	kekU;	32.92	82500	2715900
99	FA-01	i Fke	kekU;	243.28	82500	20070600
100	FC-03	i Fke	kekU;	68.14	82500	5621550
101	F-03	i Fke	kekU;	38.3	82500	3159750
102	F-142	i Fke	kekU;	34.84	82500	2874300
103	SS 05	f}rh;	kekU;	126.08	66000	8321280
104	S02	f}rh;	kekU;	34.53	66000	2278980
105	S158	f}rh;	kekU;	33.8	66000	2230800
106	S156	f}rh;	kekU;	34.97	66000	2308020
107	S159	f}rh;	kekU;	33.13	66000	2186580
108	S29	f}rh;	kekU;	22.89	66000	1510740
109	S21	f}rh;	kekU;	22.82	66000	1506120
110	S13	f}rh;	kekU;	34.25	66000	2260500
111	S10	f}rh;	kekU;	33.81	66000	2231460
112	S11	f}rh;	kekU;	34.22	66000	2258520

113	S14	f}rh;	kekU;	34.03	66000	2245980
114	S08	f}rh;	kekU;	33.86	66000	2234760
115	S32	f}rh;	kekU;	22.2	66000	1465200
116	S12	f}rh;	kekU;	34.16	66000	2254560
117	S01	f}rh;	kekU;	34.47	66000	2275020
118	S- S02	f}rh;	kekU;	83.73	66000	5526180
119	S-A01	f}rh;	kekU;	247.73	66000	16350180
120	S-09	f}rh;	kekU;	34.5	66000	2277000
121	S-27	f}rh;	kekU;	22.98	66000	1516680
122	S-33	f}rh;	kekU;	22.17	66000	1463220
123	S-03	f}rh;	kekU;	37.6	66000	2481600
124	S-06	f}rh;	kekU;	36.27	66000	2393820
125	S-16	f}rh;	kekU;	25.15	66000	1659900
126	S-17	f}rh;	kekU;	21.85	66000	1442100
127	S-24	f}rh;	kekU;	21.92	66000	1446720
128	S-41	f}rh;	kekU;	22.54	66000	1487640
129	S-51	f}rh;	kekU;	22.11	66000	1459260
130	S-74	f}rh;	kekU;	25.02	66000	1651320
131	S-85	f}rh;	kekU;	20.62	66000	1360920
132	S-95	f}rh;	kekU;	30.66	66000	2023560
133	S-100	f}rh;	kekU;	15.39	66000	1015740
134	S-120	f}rh;	kekU;	18.99	66000	1253340
135	S-129	f}rh;	kekU;	19.55	66000	1290300
136	S-151	f}rh;	kekU;	26.56	66000	1752960
137	T-03	r rh;	kekU;	24.91	55000	1370050
138	T-20	r rh;	kekU;	29.34	55000	1613700
139	T-21	r rh;	kekU;	33.1	55000	1820500
140	T-28	r rh;	kekU;	15.62	55000	859100
141	T-29	r rh;	kekU;	15.26	55000	839300
142	T-38	r rh;	kekU;	15.45	55000	849750
143	T-40	r rh;	kekU;	19.23	55000	1057650
144	T-72	r rh;	kekU;	24.52	55000	1348600